न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर
दीवानी वाद संख्या 23/2025
मांगीलाल बनाम बालमुकुन्द (मृतक) जरिये वारिसान व अन्य

18.09.2025

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती विजय लक्ष्मी उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अविनाश टांक उपस्थित।

वादी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज को Impound कराने हेतु पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज हक त्यागपत्र जो वाद प्रस्तुतीकरण के साथ दिनांक 20.10.2011 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त हक त्याग पत्र नोटेरीशुदा आकर उप पंजीयन कार्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं है, जिसे न्यायालय के आदेश से इमपाउंड कराना चाहता है, जिस बाबत न्यायालय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प डयूटी अदा करने का आदेश पारित करते हुए उक्त हक त्याग पत्र को इम्पाउंड करवाया जाना न्यायोचित होने से इम्पाउंड के आदेश मय स्टाम्प डयूटी इत्यादि पारित करने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना–पत्र की प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलाई गई, जिन्होंने निवेदन किया कि वादी स्वयं अपने हक त्याग (Release Deed) को इम्पाउंड करवाना चाहता है, जबकि ऐसी कोई स्टेज नहीं है और पत्रावली वास्ते जिरह प्रतिवादी हेतु नियत है।

वादी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यदि प्रतिवादी का यह कथन स्वीकार कर लिया जाता है कि अब वाद में वह स्टेज ही नहीं है, तो वादी ने निवेदन किया कि वे इस स्वतंत्रता के साथ प्रार्थना–पत्र नोटप्रेस करते हैं कि आवश्यकता होने पर पुनः यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र होंगे। चूंकि वादी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र नोटप्रेस किया गया है और पुनः इसी प्रकृति का प्रार्थना–पत्र पेश करने की स्वतंत्रता चाही है, जो प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते जिरह प्रतिवादी दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।